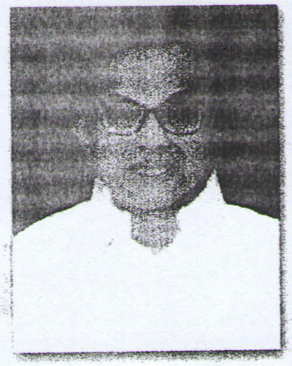

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक मंगलकामनाएं।

हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 1949 के उस स्मरणीय और ऐतिहासिक दिन की याद आना स्वाभाविक है, जब देश के विशाल जनसमूह में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं इस भाषा की सम्पन्नता को देखते हुए, हमारे संविधान-निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। फलस्वरुप राजभाषा नीति के जिस स्वरुप की संरचना हुई वह संघीय, लोकतांत्रिक, संतुलित, समावेशीय और भाषा-निरपेक्ष स्वरूप है जो संविधान में निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है। इस नीति ने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने देश की सामासिक संस्कृति का पोषण किया है।

2. अब निरंतर रूप से यह धारणा दृढ़ हो रही है कि एक से अधिक भाषाओं में अपनी बात कह सकने की क्षमता आज के समय की मांग है। आज के प्रबल प्रतिस्पर्द्धा के युग में व्यक्तित्व-विकास, व्यावसायिक गतिशीलता और भाषायी सह-अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि हमें हिंदी का भी उतना ही अच्छा ज्ञान हो जितना कि प्रान्तीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का। सहज, सरल और बोलचाल की हिंदी ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में लोकप्रिय होगी, और सतत व स्थायी रूप से और अधिक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लायी जाएगी।

3. आज के समय में हिंदी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी में निकट और सहजीवी संबंध विकसित होने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के विपुल भण्डार का लाभ उठा सकें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजभाषा विभाग ने हिंदी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सहयोगपूर्ण संबंधों के महत्व को पहचाना है। तदनुसार इस विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से हिंदीभाषी जनता के हित में द्विभाषीय 'सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्ज' के विकास का अनुरोध किया है और इस विषय का निरंतर अनुसरण कर रहा है।

4. केन्द्र सरकार ने हिंदी के प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें जो उपलब्धियां विशेषकर उल्लेखनीय हैं, वे हैं -- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की तेज़ गति से स्थापना; हिंदी के प्रति और अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए इसके प्रसार-अभियान हेतु पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान; केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सी.एच.टी.आई.) और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (सी.टी.बी.) में व्यवस्थापरक सुधार; तथा विभाग के वेबसाइट (जिसका पता www.rajbhasha.nic.in और www.rajbhasha.gov.in है) को अधिक सूचनापरक, सामयिक और नागरिक-उपयोगी बनाना। हिंदी का अधिक प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना (जो वर्ष 2012-13 से आरंभ हो रही है) में हिंदी के प्रसार हेतु सर्वपक्षीय रणनीति बनाए जाने की महत्ता से भलीभांति अवगत है।

5. राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत बने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों की है। उनसे यह भी अपेक्षा है कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त और प्रभावी जांच-बिन्दु बनाएं। मैं सभी प्रशासनिक प्रमुखों से आह्वान करता हूं कि वे इस संबंध में अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको इस दिशा में सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिंद।

नई दिल्ली,